

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 531]

भोपाल, रविवार, दिनांक 24 नवम्बर 2013—अग्रहायण 3, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2013

क्र. एफ-ए 5-14-2013-एक (1)-1531.—माननीय न्यायाधिपति श्री अजय मानिकराव खानविलकर, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जिनका स्थानान्तरण भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय मंत्रालय) की अधिसूचना क्रमांक K-11017-09-2013-US.I, दिनांक 13 नवम्बर 2013 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद पर किया गया है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 24 नवम्बर 2013 (अपरान्ह) को ग्रहण किया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2013

क्र. एफ-ए 5-14-2013-एक (1)-1532.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-14-2013-एक (1)-1531, दिनांक 24 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 24th November 2013

No. F-A.-5-14-2013-One (1)-1531.—Hon'ble Chief Justice of Himachal Pradesh High Court Shri Justice Ajay Manikrao Khanwilkar, who has been transferred as Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court vide Government of India, Law and Justice Ministry (Justice Department) Notification No. K-11017-09-2013-US.I, dated 13th November 2013 has assumed the charge of his Office on 24th November 2013 (Afternoon).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. SURESH, Principal Secy.